18/2/26

पत्रावली पाने किया पेश हुआ। वकील पार्टी-
गण पाई गई। मौजूद किया पत्रावली
किया अलग से शामिल किया गया। आगे की।

GCMS
2018/00151

नोट ले जाए।

किया सुनाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 77/2018 GCMS-2018/00151 दायर दिनांक : 09.05.2018

1. सरोज धर्मपत्नी रजिराम पुत्री हुक्माराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ ज़िला श्रीगंगानगर (राज.)
2. लेखराम } पुत्रगण हुक्माराम अकवाम सुथार
3. धर्मपाल } निवासीयान सांवलसर तहसील सूरतगढ़
4. लिछमा पत्नी दलीप पुत्री हुक्माराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—वादीगण

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र छतुराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा सूरतगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

## निर्णय दिनांक : 19.02.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 आर.टी.ए., 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1, वादीगण के पिता हैं। वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के [illegible]राम के नाम से वाके चक 2 एस.एम.आर. के पत्थर नं. 94/19, पत्थर नं. 94/29, पत्थर नं. 94/37 व पत्थर नं. 94/36 में कुल 26.12 बीघा भूमि थी व इसी चक के पत्थर नं. 94/44, 94/36, 94/37 व 94/45 में 51.12 बीघा खातेदारी भूमि थी, जो

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

उनके स्वर्गवास उपरान्त इन्तकाल सं. 28 व 33 के द्वारा वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुआ है। वादीगण के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता के स्वर्गवास उपरान्त उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 2 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं. 9 के पत्थर नं. 94/44 (19) के किला नं. 1 से 4, 7 से 14, 17 से 23 = 4.682 है0, पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 6 से 9, 11 से 19, 23, 24 = 4.035 है0, पत्थर नं. 94/37 (29) के किला नं. 3 से 7, 14 से 17 = 1.785 है0 व पत्थर नं. 94/45 (30) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 19, 20 = 2.554 है0, कुल 13.056 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में से 1.606 है0 एवं इसी चक 2 एस.एम. आर. के खाता सं. 12/19 के पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 20 से 22 = 0.442 है0, पत्थर नं. 94/28 (21) के किला नं. 24–25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 94/29 (28) के किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 25 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 94/37 (29) के किला नं. 1, 2, 8 से 13, 18 से 23 = 3.504 है0, कुल 6.729 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड भूमि में से 2.854 है0, इस प्रकार दोनों खातों में कुल 4.460 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जो उन्हें बतौर हिन्दू खानदान सहदायी सदस्य के रूप में विरासतन प्राप्त हुई है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू खानदान मुश्तरका के सहदायी सदस्य हैं व हिन्दू मिताक्षरा विधि से शासित है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जिसमें हिन्दू विधि अनुसार वादीगण का 4/5 हिस्सा जन्म से हक व हिस्सा बनता है, जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण ने अपने हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया लेकिन वो स्पष्ट इन्कार हो गया। प्रतिवादी सं. 1 भूमि अपने नाम अंकित होने का फायदा उठाकर वादीगण के हितों के विरुद्ध भूमि बेचान कर वादीगण को हकों से वंचित करने की धमकी दे रहा है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद उक्त दोनों खातों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित कुल 4.460 है0 पैतृक रकबा में से वादीगण के नाम 4/5 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित करने व इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 4/5 हिस्सा तक का रकबा कलमजन कर [illegible] व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 के विरुद्ध दिनांक 11.10.2018 को एवं प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध दिनांक 26.05.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जवाब स्टेट प्रस्तुत नहीं होने पर दिनांक 26.05.2023 को जवाब स्टेट बन्द किये गये। जवाब ना आने पर तनकीयात कायम न कर वाद में पुष्टि के साक्ष्य प्राप्त किये गये। वादीगण द्वारा वादी सं. 2 लेखराम पुत्र हुक्माराम व भागीरथ पुत्र पृथ्वीराज के शपथ–पत्र वाद की पुष्टि में प्रस्तुत किये गये। साक्ष्य प्राप्त होने पर तर्क सुने गये।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य नामान्तरकरण नकल व जमाबन्दी चालू का अवलोकन करवाया एवं शपथ–पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर प्रश्नगत प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित भूमि में से वादीगण को 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर, घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 को वादीगण के घोषित हिस्से में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की।

बाद अवलोकन व विचारण इस मामले में अदालत मुख्य रूप से विचारण विषय यह पाती है कि क्या प्रतिवादी सं. 1 हुक्माराम को प्रश्नगत सम्पत्ति बतौर वारिस पिता से प्राप्त हुई है व यह सम्पत्ति हिन्दू सहदायी परिवार की सम्पत्ति है तथा वादीगण हिन्दू सहदायी परिवार के सदस्य हैं व इन पर हिन्दू विधि प्रभावशील है ? इस दृष्टि से विचारण करने पर यह बात दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरकरण तस्दीक व वर्तमान जमाबन्दी से पूर्ण रूप से सिद्ध होती है कि प्रश्नगत वाद की कृषि भूमि मूल रूप से मेघाराम की थी जो बाद मृत्यु मेघाराम मु. नाथी बेवा मेघा, छतु, खेता, हरलाल पि. मेघा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई जो कि चक 2 एस.एम.आर. के पत्थर नं. [illegible]/44 के किला नं. 1, 2 से 4, 7 से 9, 10, 11, 12 से 14, 17 से 19, 20 [illegible] 22–23, पत्थर नं. 94/36 के किला नं. 6 से 9, 11 से 19, 23, 24, 25 [illegible] पत्थर नं. 94/37 के किला नं. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16–17 व पत्थर नं. 94/45 के किला नं. 1 से 3, 8–9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

10, 11, 12, 13, 19, 20, में कुल 51.12 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हुक्माराम पुत्र छतुराम को 19608/147 में से 1/2 हिस्सा भूमि बतौर वारिस प्राप्त हुई। इसी प्रकार इसी चक 2 एस.एम. आर. के पत्थर नं. 94/28, 94/29, 94/37 व पत्थर नं. 94/36 में कुल 26.12 बीघा कमाण्ड–अनकमाण्ड खातेदारी भूमि में से 1/7 हिस्सा भूमि बतौर वारिस हुक्माराम पुत्र छतुराम को प्राप्त हुई। स्पष्टतः यह भूमि हिन्दू सहदायी परिवार की कृषि भूमि है। वादीगण ने शपथ–पत्र के माध्यम से इसे पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। अभिभाषक वादीगण द्वारा हिन्दू विधि का अवलोकन करवाया गया, जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध है कि प्रश्नगत कृषि भूमि अविभक्त हिन्दू परिवार की सहदायी सम्पत्ति है। धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इस पर पूर्ण रूप से प्रभावशील होता है। वादीगण के शपथ–पत्र के अतिरिक्त प्रतिशपथ–पत्र अथवा जवाब आपत्ति वाद प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में जमाबन्दी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित है, जिसका लाभ उठाकर विधि विपरीत हस्तान्तरण हो सकता है जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। हिन्दू मिताक्षरा में सहदायी की अवधारणा प्रभावशील है जिसमें सहदायी सदस्य पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में उसके नाम अंकित सहदायी भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध होने से स्वीकार कर संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं. 9/11 के पत्थर नं. 94/44 (19) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 2 से 4/0.759 है0, 7 से 9/0.759 है0, 10/1 में 0.228 है0, 11/1 में 0.228 है0, 12 से 14/0.759 है0, 17 से 19/0.759 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22–23/0.506 है0 = 4.682 है0, पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 6 से 9/1.012 है0, 11 से 19/2.277 है0, [illegible] 0.240 है0, 24–25/0.506 है0 = 4.035 है0, पत्थर नं. 94/37 (29) के [illegible] नं. 3/1 में 0.102 है0, 4/1 में 0.190 है0, 5/0.253 है0, 6/1 में 0.127 है0, 7/1 में 0.139 है0, 14/0.253 है0, 15/1 में 0.215 है0, 16–17/0.506 है0 = 1.785 है0 व पत्थर नं.

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:29:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

94/45 (30) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0, 8–9/0.506 है0, 10/1 में 0.240 है0, 11/1 में 0.151 है0, 12/1 में 0.215 है0, 13/0.253 है0, 19/1 में 0.177 है0, 20/0.253 है0 = 2.554 है0, कुल 13.056 है0 (11.513 है0 कमाण्ड, 1.493 है0 अनकमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हुक्मा वल्द छतूराम के नाम अंकित 1.606 है0 भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार इसी चक 2 एस.एम.आर. के खाता सं. 12/19 के पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 20/1 में 0.164 है0, 21/1 में 0.164 है0, 22/1 में 0.114 है0 = 0.442 है0, पत्थर नं. 94/28 (21) के किला नं. 24–25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 94/29 (28) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0, 25/0.253 है0 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 94/37 (29) के किला नं. 1/0.253 है0, 2/1 में 0.228 है0, 8/1 में 0.240 है0, 9 से 13/1.265 है0, 18 से 23/1.518 है0 = 3.504 है0, कुल 6.729 है0 (0.278 है0 कमाण्ड व 6.451 है0 अनकमाण्ड) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हुक्माराम वल्द छतुराम के नाम अंकित 2.854 है0 भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त दोनों खातों/पश्चात्वर्ती जमाबन्दियों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित रकबा में से 4/5 हिस्सा रकबा कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष 1/5 हिस्सा रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद रकबा रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन हिस्सा अनुसार वादीगण के नाम अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व वादीगण का भी रहेगा। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के घोषित रकबा में इसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तदाबि तामील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 18.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

# डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

---

अनवान :–

1. सरोज धर्मपत्नी रजिराम पुत्री हुक्माराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. लेखराम } पुत्रगण हुक्माराम अकवाम सुथार
3. धर्मपाल } निवासीयान सांवलसर तहसील सूरतगढ़
4. लिछमा पत्नी दलीप पुत्री हुक्माराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र छतुराम जाति सुथार निवासी सांवलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा सूरतगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 77 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

**वाद वादीगण पूर्ण रूप से सिद्ध होने से स्वीकार कर संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 2 एस.एम.आर. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 71 के खाता सं. 9/11 के पत्थर नं. 94/44 (19) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 2 से 4/0.759 है0, 7 से 9/0.759 है0, 10/1 में 0.228 है0, 11/1 में 0.228 है0, 12 से 14/0.759 है0, 17 से 19/0.759 है0, 20/1 में 0.228 है0, 21/1 में 0.228 है0, 22–23/0.506 है0 = 4.682 है0, पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 6 से 9/1.012 है0, 11 से 19/2.277 है0, 23/1 में 0.240 है0, 24–25/0.506 है0=4.035 है0, पत्थर नं. 94/37 (29) के किला नं. 3/1 में 0.102 है0, 4/1 में 0.190 है0, 5/0.253 है0, 6/1 में 0.127 है0, 7/1 में 0.139 है0, 14/0.253 है0, 15/1 में 0.215 है0, 16–17/0.506 है0 = 1.785 है0 व पत्थर नं. 94/45 (30) के किला नं. 1 में 3/0.75 है0, 8–9/0.506 है0, 10/1 में 0.240 है0, 11/1 में 0.151 है0, 12/1 में 0.215 है0, 13/0.253 है0, 19/1 में 0.177 है0,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

20/0.253 है0 = 2.554 है0, कुल 13.056 है0 (11.513 है0 कमाण्ड, 1.493 है0 अनकमाण्ड व 0.050 है0 खाला) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हुक्मा वल्द छतूराम के नाम अंकित 1.606 है0 भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं इसी प्रकार इसी चक 2 एस.एम.आर. के खाता सं. 12/19 के पत्थर नं. 94/36 (20) के किला नं. 20/1 में 0.164 है0, 21/1 में 0.164 है0, 22/1 में 0.114 है0 = 0.442 है0, पत्थर नं. 94/28 (21) के किला नं. 24–25 = 0.506 है0, पत्थर नं. 94/29 (28) के किला नं. 4 से 7/1.012 है0, 14 से 17/1.012 है0, 25/0.253 है0 = 2.277 है0 व पत्थर नं. 94/37 (29) के किला नं. 1/0.253 है0, 2/1 में 0.228 है0, 8/1 में 0.240 है0, 9 से 13/1.265 है0, 18 से 23/1.518 है0 = 3.504 है0, कुल 6.729 है0 (0.278 है0 कमाण्ड व 6.451 है0 अनकमाण्ड) भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 हुक्माराम वल्द छतुराम के नाम अंकित 2.854 है0 भूमि में से 4/5 हिस्सा भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। मुताबिक घोषणा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त दोनों खातों/पश्चात्वर्ती जमाबन्दियों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित रकबा में से 4/5 हिस्सा रकबा कलमजन कर वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, शेष 1/5 हिस्सा रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगा। यदि प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित जैरवाद रकबा रहन अंकित है तो उपरोक्त आदेश के अनुसरण में रहन का अंकन वादीगण के नाम हिस्सा अनुसार अंकित किया जावे और इसी अनुसार ऋण अदायगी का दायित्व वादीगण का भी रहेगा। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के घोषित रकबा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर न्यायालय के आज दिनांक 18.02.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:20:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़